

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001



ओ.बी.सी.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Head Office : Plot No. 5, Institutional Area,
Sector - 32, Gurugram-122001

HO/MBD/2019

18.02.2019

Scrip Code: ORIENTBANK	Scrip Code: 500315
The Executive Director, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir,

Reg: Notice of Postal Ballot – Preferential Issue to Government of India

Further to Bank's communication dated 08.02.2019, please find enclosed the Notice of Postal Ballot for seeking approval of the Shareholders of the Bank to the special resolution for raising capital for an amount upto ₹1186 crore by way of preferential allotment of requisite number of equity shares to Government of India in terms of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Bank has provided its shareholders the facility to exercise voting rights by electronic means on CDSL e-voting platform (www.evotingindia.com) from 10:00 a.m. on 21st February, 2019 till 5:00 p.m. on 22nd March, 2019, both days inclusive. The last date for receipt of Postal Ballot Forms by the Scrutinizer is Friday, 22nd March, 2019 upto 5:00 p.m.

Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form is available on Bank's Website i.e. www.obcindia.co.in, website of the Bank's RTA i.e. www.linkintime.co.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

Company Secretary

Encl: as above

पोस्टल मतदान के लिए नोटिस

NOTICE OF POSTAL BALLOT

दिनांक : 21 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक
Date : 21st February 2019 to 22nd March 2019



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनाउट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

वेबसाइट : www.obcindia.co.in

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

Website : www.obcindia.co.in



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

पोस्टल मतदान के लिए नोटिस

समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (इसमें सांविधिक आशोधन अथवा फिलहाल प्रभावी पुनराधिनियमन सहित) के अनुसरण में, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब से बैंक कहा गया है) के शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम अर्थात् ई-वोटिंग सहित पोस्टल मतदान के द्वारा विशेष संकल्प को पारित करने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए एतद्वारा सूचित किया जाता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं व्याख्यात्मक कथन, जिसमें तत्संबंधी प्रमुख तथ्य एवं कारण का उल्लेख है, इसके साथ संलग्न हैं।

बैंक ने श्री अमित गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सी.पी. सं.4682) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पोस्टल मतदान प्रक्रिया कराने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

कृपया पोस्टल मतदान के नोटिस में दिए गए निर्देशों एवं फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फॉर्म को पूर्णतः भरकर संलग्न स्व-पता लिखे पूर्व-भुगतान डाकखर्च वाले बिजनेस प्रत्युत्तर लिफाफे में इस प्रकार लौटाएं कि यह संवीक्षक को निम्न पते पर अधिकतम शुक्रवार, 22 मार्च को कार्य अवधि समय समाप्त होने से पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक पहुंच जाए।

संवीक्षक,

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इकाई: द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमि.

विखरोली (पश्चिम), सी-101, 247 पार्क,

एलबीएस मार्ग, मुंबई - 400083

विशेष संकल्प पर मतदान के लिए बैंक ई-मतदान की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। ई-मतदान के विकल्प का चयन करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि पोस्टल मतदान के नोटिस एवं ई-वोटिंग के लिए इनमें दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

पोस्टल मतों की संवीक्षा के बाद संवीक्षक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पोस्टल मतदान का परिणाम कॉरपोरेट कार्यालय में 24 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे अथवा इसके पूर्व नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके घोषित किया जाएगा और इसे बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.obcindia.co.in, लिंक इन टाइम इंडिया प्रा. लिमि., बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट www.linkintime.co.in तथा केन्द्रीय डिपोजिटरी सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड ई-वोटिंग की

वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् एनएसई व बीएसई में भी सूचित किया जाएगा, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

संकल्प:-

एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :-

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से “अधिनियम” कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (अब से “योजना” कहा जाएगा) के साथ पढ़े जाने वाला, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (अब से “ओबीसी विनियम” कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित यथालागू अन्य नियम / अधिसूचनाएं / परिपत्र / विनियम/ दिशा-निर्देश, यदि कोई हो, और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा / या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी, जो भी इस संबंध में आवश्यक हो, के अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति के अध्यक्षीन तथा इनके द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे नियम, शर्तें एवं इनमें आशोधनों के अधीन जो, ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवश्यक एवं ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, तथा जो सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (अब से “सेबी आईसीडीआर विनियम” कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (अब से “सेबी सूचीकरण विनियम” कहा जाएगा) के अध्यक्षीन है तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, प्रविष्ट सूचीबद्ध करार, के अध्यक्षीन है, बैंक के निदेशक मंडल (अब से “मंडल” कहा जाएगा), जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित मंडल द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु गठित / या पुनर्गठित की जाने वाली समिति (यां) सम्मिलित की गई मानी जाएंगी) को भारत सरकार (भारत का राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ₹ 1186 करोड़ (रुपए एक हजार एक सौ छियासी करोड़ मात्र) की सीमा तक सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 164 के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु ₹ 10/- (रुपए दस मात्र) प्रति शेयर के अंकित मूल्य के बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के विनियम 161 के प्रावधान में निर्गम मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिए ‘संबंधित तिथि’ 20 फरवरी, 2019 होगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा जारी, आबंटित तथा इसे सूचीबद्ध करने के लिए अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करने के लिए ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा बताए गए

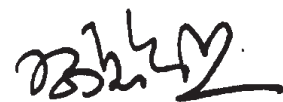
प्रस्ताव में किसी संशोधन को, जिन्हें मण्डल की सहमति हो, स्वीकार करने के लिए मण्डल को प्राधिकार एवं शक्तियां होंगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जाएंगे तथा सेबी आईसीडीआर के अध्याय V के अनुसार लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन होंगे तथा इन्हें सभी मामलों में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा, और ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, में सूचीबद्ध होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मंडल को एतद्वारा, ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित, आवश्यक और वांछनीय समझे और इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित उठने वाले प्रश्न, कठिनाई अथवा शंका का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श व अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लिखत को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत जाता है अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मंडल को एतद्वारा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक (कों) या बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा भी उचित समझे, प्रदत्त अपनी सभी या किसी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स



स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 14.02.2019

मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणी :

1. सभी महत्वपूर्ण तथ्य तथा प्रस्तावित संकल्प के कारण का उल्लेख करते हुए व्याख्यात्मक कथन यहां संलग्न किया गया है।
2. ऐसे शेयरधारक जिनके ई-मेल पते बैंक/ निक्षेपागारों के पास पंजीकृत हैं, को पोस्टल मतदान फॉर्म के साथ नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है, जब तक कि किसी शेयर धारक ने इसके मूर्त प्रति के लिए स्वयं को पंजीकृत न किया हो। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, को अनुमत माध्यम से मूर्त प्रति भेजी जा रही हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पोस्टल मतदान का नोटिस बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.obcindia.co.in, लिंक इन टाइम इंडिया प्रा.लि., बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट अर्थात् www.linkintime.co.in तथा केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड ई-वोटिंग की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर उपलब्ध रहेगा।
3. शुक्रवार, 08 फरवरी, 2019 ("अंतिम तिथि") को शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत इक्विटी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर मताधिकार की गणना की जाएगी। केवल वही शेयरधारक पोस्टल मतदान अथवा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र होंगे, जिनके नाम अंतिम तिथि पर निक्षेपागार द्वारा रखे गए शेयरधारकों के रजिस्टर अथवा हितधारक स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे। ऐसे व्यक्ति जो अंतिम तिथि पर शेयरधारक नहीं हों, पोस्टल मतदान के इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें।
4. अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के इतर, बैंक का कोई शेयरधारक उसके द्वारा बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा। अधिनियम/मों, विनियम/मों, तथा योजना/ओं में किसी संशोधन, जिससे इस नोटिस में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी अथवा आंशिक संशोधन हो सकता हो, के मामले में, संशोधन लागू होगा।
ओबीसी विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो मतदान के लिए, रजिस्टर में पहले स्थान पर नाम वाला व्यक्ति उसका संपूर्ण धारक माना जाएगा।
5. शेयरधारक मतदान हेतु केवल एक माध्यम अर्थात् पोस्टल मतदान फॉर्म अथवा ई-वोटिंग को चुन सकता है। यदि कोई शेयरधारक पोस्टल मतदान फॉर्म तथा ई-वोटिंग दोनों माध्यम से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान वैध माना जाएगा तथा पोस्टल मतदान फॉर्म द्वारा किया गया मतदान अवैध माना जाएगा।
6. अग्रतर, ऐसे शेयरधारक जिन्हें पोस्टल मतदान का नोटिस ई-मेल द्वारा प्राप्त हुआ है और मूर्त पोस्टल मतदान फॉर्म द्वारा मतदान करना चाहते हैं तो वह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.obcindia.co.in से पोस्टल मतदान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001 को लिख सकते हैं

और संवीक्षक को विधिवत् पूर्ण तथा हस्ताक्षरित पोस्टल मतदान फॉर्म इस प्रकार भेज सकते हैं कि यह शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक या इससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

7. संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 अर्थात् विधिवत् पूर्ण पोस्टल मतदान फॉर्म प्राप्त होने अथवा ई-वोटिंग के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि, को पारित हुआ माना जाएगा।
8. शेयरधारक पोस्टल मतदान पर प्रॉक्सी द्वारा अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है।
9. पोस्टल मतपत्र फॉर्म द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल मतपत्र फॉर्म के पीछे छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और, संलग्न स्व-संबोधित पोस्टल पूर्व-दत्त कारोबारी उत्तर के लिफाफे में, उक्त फॉर्म को विधिवत् रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित करके वापस भेजें, ताकि यह संवीक्षक तक शुक्रवार, 22 मार्च 2019 को शाम 5.00 (आईएसटी) बजे से पहले पहुंच जाए। डाक खर्च का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा। तथापि, पोस्टल मतपत्र फॉर्म वाले लिफाफे, यदि शेयरधारक/कों के खर्चे पर कूरियर या रजिस्टर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए हैं या व्यक्तिगत रूप से स्व-संबोधित पोस्टल पूर्व-दत्त कारोबारी उत्तर के लिफाफे पर दिये गए पते पर भेजे गए हैं तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई पोस्टल मतपत्र फॉर्म शुक्रवार, 22 मार्च 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी), के बाद प्राप्त होता है, तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक/कों से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि पोस्टल मत फॉर्मों को अमान्य माना जाएगा यदि:
 - i) बिना किसी शंका के शेयरधारक/कों की सहमति या असहमति का निर्धारण करना संभव न हो और/या
 - ii) एक सक्षम प्राधिकारी ने बैंक को लिखित रूप में शेयरधारक/कों के मताधिकारों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं; और/या
 - iii) इसे इस तरह से विरूपित या विकृत किया गया है कि वास्तविक रूप में इसकी पहचान नहीं की जा सकती है; और/या
 - iv) शेयरधारक/कों ने अपने मत का प्रयोग करते समय किसी संकल्पना में संशोधन किया है या किसी शर्त को लागू किया है; और / या
 - v) फॉर्म में दिए गए विवरण अपूर्ण या गलत हैं; और/या
 - vi) पोस्टल मतपत्र फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं है या हस्ताक्षर मेल नहीं खाता है; और/या
 - vii) यदि बैंक द्वारा जारी किए गए पोस्टल मतपत्र फॉर्म के अलावा अन्य पोस्टल मतपत्र फॉर्म का उपयोग किया गया है।
10. यदि कोई शेयरधारक एक डुप्लीकेट पोस्टल मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने का इच्छुक है, तो शेयरधारक बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम- 122001 को लिख सकता है या mbd@obc.co.in पर ई-मेल भेज सकता है या इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में है, को लिख सकता है। तथापि, विधिवत्

रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित डुप्लीकेट पोस्टल मतपत्र फॉर्म शुक्रवार, 22 मार्च 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक या इससे पहले संवीक्षक तक पहुंच जाना चाहिए।

11. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नानुसार होगी:

ई-वोटिंग के लिए दिशानिर्देश:

- (i) ई-वोटिंग अवधि 21.02.2019 को प्रातः 10.00 बजे से शुरू होकर 22.03.2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई 08 फरवरी, 2019 की निर्दिष्ट तिथि को मूर्त अथवा डीमैट रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा।
- (ii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए
- (iii) शेयरधारक/सदस्य पर क्लिक करें
- (iv) अब अपनी यूजर आईडी डालें
क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी,
ग. मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या डालें।
- (v) अब प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आपने किसी कंपनी/इकाई के लिए मतदान करने हेतु पहले www.evotingindia.com पर लॉग ऑन और मतदान किया था, तो अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग करें।
- (vii) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

	उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास शेयर डीमैट और मूर्त रूप में हैं
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट और मूर्त दोनों शेयरधारकों के लिए लागू): जिन शेयरधारकों ने कंपनी/ निक्षेपागार सहभागी के पास अपने पैन को अद्यतित नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन की जगह डाक मतपत्र/उपस्थिति पर्ची में छुपी क्रम संख्या का उपयोग करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या बैंक रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दि दि/ मा मा / व व व व प्रारूप में) दर्ज करें। यदि दोनों ही विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया निर्देश (iv) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या दर्ज करें।

- (viii) इन विवरणों को सही तरह से भरने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- (ix) जिन शेयरधारकों के पास शेयर मूर्त रूप में हैं वे सीधा बैंक के चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि, जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हैं वे अब 'Password Creation' मेन्यू पर जाएंगे जहां नए पासवर्ड फील्ड में उनके द्वारा अनिवार्य रूप से अपना लॉगइन पासवर्ड दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनी/इकाई, जिसके लिए मतदान करने हेतु वे पात्र हैं, के संकल्प के लिए मतदान करने हेतु भी उपयोग किया जाएगा, बशर्ते कंपनी ने सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग के विकल्प का चयन किया हो। इस बात की जोरदार संस्तुति की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने में हरसंभव सावधानी बरतें।
- (x) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए, केवल इस नोटिस में निहित संकल्प पर ई-वोटिंग करने के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (xi) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए EVSN पर क्लिक करें।
- (xii) मतदान पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसके समक्ष मतदान के लिए "हां/ नहीं" विकल्प होगा। इच्छानुसार 'हां' या 'नहीं' के विकल्प का चयन करें। विकल्प 'हां' का अर्थ है कि आप संकल्प से 'सहमत' हैं और विकल्प 'नहीं' का अर्थ है कि आप संकल्प से 'असहमत' हैं।
- (xiii) यदि सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- (xiv) आपने जिस संकल्प पर मतदान करने का निर्णय लिया है, उसे चुनने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपने मत को बदलने के लिए, "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुरूप अपने मत को संशोधित करें।
- (xv) एक बार संकल्प पर अपने मत को "CONFIRM" करने के बाद आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xvi) मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" का चयन करके आप दिए गए मतों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमैट खाता धारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तो उपयोगकर्ता आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (xviii) शेयरधारक Android आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प m-Voting का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। M-Voting एप्प को Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमशः ऐप्प स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप्प डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल एप्प द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।
- (xix) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए टिप्पणी**
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करना होगा।
 - कंपनी की मोहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com और इसकी प्रति संवीक्षक को amitguptacs@gmail.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
 - लॉगिन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों के अनुमोदन पर वे अपना मतदान कर सकेंगे।
 - मण्डल के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- (xx) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप सहायता खण्ड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते हैं।
- (xxi) कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग के माध्यम से एक बार मतदान कर देने के बाद, आप पोस्टल मतपत्र द्वारा उसमें संशोधन या मतदान नहीं कर सकते।

अन्य जानकारी

- क) सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी / डीओपी1 / परि /पी / 2018/73 दिनांक 20 अप्रैल, 2018, के अनुसरण में ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं जिनके फोलियो में पैन और बैंक विवरणों से संबंधित विस्तृत विवरण नहीं हैं/अपूर्ण हैं, उन्हें अपने फोलियो के अंतर्गत पंजीकरण के लिए बैंक / रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए) को पैन और बैंक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैंक ने संबंधित शेयरधारकों को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि वे यथाशीघ्र आरटीए को अपने विवरण प्रस्तुत करें।

ख) शेयरों का अमूर्तिकरण : सेबी की अधिसूचना सं. सेबी /एलएडीएनआरओ/ जीएन / 2018/24 दिनांक 8 जून 2018 और पीआर सं. 49/2018 दिनांक 3 दिसंबर, 2018, के अनुसार सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 में संशोधन, प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के मामले को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावित करने के लिए अनुरोध **31 मार्च, 2019** के बाद संसाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रतिभूतियों को निक्षेपागार के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। शेयरधारक, जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, से अनुरोध है कि अपने मूर्त शेयर को अमूर्त रूप में अविलंब परिवर्तित करा लें।

कृपया नोट करें कि बैंक/आरटीए 1 अप्रैल, 2019 से शेयरों के अंतरण के लिए किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा।

ग) ई-मेल आईडी अद्यतित करना : भविष्य में सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करने के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि (यदि शेयर मूर्त रूप में हैं) वे बैंक के आरटीए के पास और निक्षेपागार सहभागी (यदि शेयर डीमैट रूप में हैं) के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित कराएं।

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट का पता

मै. लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि.

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी,
सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

दूरभाष नंबर.: +91-11-41410592|93|94

फैक्स: +91-11-4141 0591

ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in

वेबसाइट : www.linkintime.co.in

निवेशक किसी प्रकार की सहायता के लिए नीचे दिए पत्तों पर निवेशक शिकायत निवारण कक्ष से भी सम्पर्क कर सकते हैं :

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कॉरपोरेट कार्यालय – मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग

द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 5

सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

दूरभाष नंबर – 0124-4126281/285

ई-मेल : mbd@obc.co.in

वेबसाइट : www.obcindia.co.in

व्याख्यात्मक कथन

प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के निम्न विवरणों का प्रकटीकरण सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है:

1. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य:

भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ सं. 7/38/2014- बीओए-आई दिनांक 30.01.2019 के माध्यम से बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए ₹ 1186.00 करोड़ (रुपए एक हजार एक सौ छियासी करोड़ मात्र) का निवेश करने के निर्णय की जानकारी दी है। 30.01.2019 को भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक के खाते में ₹ 1186.00 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गयी है।

निदेशक मंडल ने 07.02.2019 को भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया है और तदनुसार बैंक द्वारा पहले से प्राप्त की जा चुकी ₹ 1186.00 करोड़ की पूंजी निवेश की राशि के विरुद्ध अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी और आबंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने की संस्तुति की है।

अधिमानी आबंटन के माध्यम से जुटायी गयी पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुधारने एवं बैंक की सामान्य कारोबार आवश्यकतों को निधियां प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

2. निर्गमित की जाने वाली विशिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या :

विशेष प्रस्ताव, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, तो पोस्टल मतपत्र की अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार 22 मार्च, 2019 को पारित माना जाएगा। सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के विनियम 161 के अनुसरण में संगत तिथि 20 फरवरी, 2019 है और निर्गम मूल्य की गणना सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के विनियम 164 के अनुसरण में की जाएगी। भारत सरकार को जारी और आबंटित किए जाने वाले शेयरों के निर्गम मूल्य और शेयरों की संख्या की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को संगत तिथि के बाद दी जाएगी।

3. प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए जारीकर्ता के प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का इरादा :

चूंकि बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 88.04% है तथा भारत सरकार को प्रस्तावित अधिमानी इश्यू भी दिए जा रहे हैं, अतः भारत सरकार के अतिरिक्त कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मि प्रस्ताव को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है।

4. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू से पूर्व तथा पश्चात शेयरधारिता पैटर्न :

इश्यू से पूर्व:

क्र.सं..	श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत
1.	प्रवर्तक अर्थात भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	1060999566	88.04
2.	अन्य शेयर धारक	144088458	11.96
3.	कुल (1+2)	1205088024	100.00

*बैंक ने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स- कर्मचारी शेयर क्रय योजना (**OBC-ESPS**) के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को 2,61,31,493 नए इक्विटी शेयरों की पेशकश की है। यह प्रस्ताव 31 जनवरी 2019 को खोला गया था। तदनुसार, प्रस्तावित अधिमानी इश्यू से पूर्व बैंक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न **ESPS** के अंतर्गत शेयरों के आबंटन को बदल देगा।

इश्यू करने के पश्चात :

भारत सरकार को आबंटित इक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या का निर्धारण संगत तिथि अर्थात 20 फरवरी, 2019 को निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद किया जाएगा। भारत सरकार को आबंटित इक्विटी शेयरों की संख्या और निर्गम पश्चात का पैटर्न निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा। इसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

5. अधिमानी इश्यू की समयावधि, जिसमें इसे पूरा कर लिया जाएगा :

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 170(1) की अपेक्षानुसार, शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर आबंटन किया जाएगा, बशर्ते आबंटन हेतु किसी नियामक प्राधिकरण अथवा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन अथवा अनुमति लम्बित है, तो 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि इस प्रकार के आवेदन पर अथवा अनुमोदन या अनुमति की तिथि को आदेश की तिथि से गिनी जाएगी, जैसा भी मामला हो ।

6. अधिमानी इश्यू के परिणामस्वरूप बैंक में, प्रस्तावित आबंटि की पहचान और अधिमानी पूंजी निर्गमन के बाद धारित तथा नियंत्रित परिवर्तन की प्रतिशतता, यदि कोई हो :

जैसा कि सम्पूर्ण इश्यू भारत सरकार, बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक को किया जाना है, इसलिए इश्यू के अनुवर्ती नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू का मूल्यन :

निर्गम मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के अनुसार निर्धारित किया जाएगा अर्थात; निम्नलिखित के सर्वोच्च से अधिक के मूल्य पर :

- (क) प्रासंगिक तिथि से छब्बीस सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रदर्शित संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा भारित औसत मूल्य [वीडब्ल्यूएपी] का साप्ताहिक उच्च एवं न्यून का औसत ; अथवा
- (ख) प्रासंगिक तिथि से दो सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रदर्शित संबंधित इक्विटी शेयरों के मात्रा भारित औसत मूल्य [वीडब्ल्यूएपी] का साप्ताहिक उच्च एवं न्यून का औसत ।

परिणामी इक्विटी शेयरों का निर्गमन मूल्य निर्धारित करने के लिए "प्रासंगिक तिथि" 20 फरवरी, 2019 होगी ।

बैंक के इक्विटी शेयरों को छब्बीस सप्ताह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया गया है एवं तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 164(3) और 167 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

- 8. चूंकि सभी शेयर भारत सरकार को जारी किए जाने हैं, सेबी आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची VI में निर्धारित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं ।
- 9. जहां कहीं आवश्यक है, वहाँ बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयरों के मूल्यों की पुनर्गणना का वचन देता है ।
- 10. बैंक वचन देता है कि यदि इन विनियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इक्विटी शेयर आबंटि द्वारा राशि के भुगतान किए जाने तक अवरुद्ध रहेंगे ।

11. सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन :

यह प्रमाणित करते हुए कि शेयरों का निर्गमन सेबी (पूंजी निर्गमन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र, प्रस्तावित अधिमानी इश्यू पर विचार करने के लिए पोस्टल मतदान के परिणामों की घोषणा की तिथि तक बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में उपलब्ध रहेगा ।

12. निश्चित अवरुद्धता अवधि तथा अंतरण पर प्रतिबंध :

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 167 (1) के अनुसार, अधिमानी आधार पर निर्गमित और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्वीकृत ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अध्यक्षीन होंगे ।

बैंक की कुल पूंजी के 20 (बीस) प्रतिशत तक की पूंजी ही ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 (तीन) वर्षों के लिए अवरुद्ध अवधि के अध्यक्षीन होगी ।

अग्रतर 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक आबंटित इक्विटी शेयर, विकल्प को प्रयोग करने के कारण अथवा अन्यथा, जैसा भी मामला हो, ट्रेडिंग के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए अवरुद्ध अवधि के अध्यक्षीन होंगे ।

आबंटियों की संपूर्ण पूर्व-अधिमानि आबंटित शेयरधारिता, यदि कोई हो, प्रासंगिक तिथि से विशेष संकल्प के अनुसरण में आबंटित शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित स्वीकृत ट्रेडिंग तिथि से 6 (छः) माह की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी ।

13. उपरोक्तानुसार जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की तुलना में एक समान रैंक किए जाएंगे । बैंक इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए उन स्टॉक एक्सचेंजों को आवेदन करेगा, जहां बैंक के मौजूदा शेयर पहले से सूचीबद्ध हैं ।
14. भारत सरकार ने प्रासंगिक तिथि से छः माह के दौरान बैंक के कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं। भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक, सेबी सूचीकरण विनियमों में यथानिर्धारित इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन कर रहा है।
15. बैंक पुष्टि करता है कि न तो जारीकर्ता और न ही इसका कोई प्रवर्तक न ही निदेशक सेबी आईसीडीआर विनियमों के तहत इरादतन चूककर्ता है।
16. सेबी सूचीकरण विनियम तथा सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसरण में उपरोक्त एजेंडा के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है ।
17. निदेशक मण्डल नोटिस में दर्शाये गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, यदि बैंक में कोई हो, संकल्प में दिये गए प्रस्ताव से किसी भी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं माने जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स



स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 14.02.2019

मुकेश कुमार जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Oriental Bank of Commerce (hereinafter referred to as “the Bank”) to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. “e-Voting”.

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Mr. Amit Gupta, Practising Company Secretary (C.P. No. 4682) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot and Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of the working hours i.e. 5.00 p.m., on Friday 22nd March, 2019 at the following address :

The Scrutinizer,
Unit : Oriental Bank of Commerce
C/o Link Intime India Pvt. Ltd.
Vikhroli (West), C-101, 247 Park,
LBS Marg, Mumbai - 400083

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given thereunder for e-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer (“MD&CEO”) after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before 5:00 p.m. of 24th March, 2019 at the Corporate Office of the Bank by displaying on the Notice Board and the same would be placed on the website of the Bank i.e. www.obcindia.co.in, Link Intime India Pvt Ltd., Bank’s Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at www.linkintime.co.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited e-Voting at www.evotingindia.com. The same would also be intimated to the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE where the equity shares of the Bank are listed.

Resolution:

To consider and if thought fit, to pass the following as Special Resolution:-

“RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as “the Act”), read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as “the Scheme”), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as “OBC Regulations”), including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any, prescribed by

the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted / or may be re-constituted by the Board) to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution, to create, offer, issue and allot such number of equity Shares of the Bank of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India (President of India) aggregating upto ₹1186.00 crore (Rupees One Thousand One Hundred Eighty Six Crore only) on preferential basis for cash at an Issue price (inclusive of premium) to be determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations.

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' in terms of Regulation 161 under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of Issue Price is February 20, 2019."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements stipulated under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and shall be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other Officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

Place : Gurugram
Date : 14.02.2019

NOTES:

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.
2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the website of the Bank i.e. www.obcindia.co.in, Link Intime India Pvt Ltd., Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. www.linkintime.co.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited e-Voting i.e. www.evotingindia.com.
3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on Friday 08, February 2019 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or E-Voting. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.
4. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, and Scheme/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.
6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website i.e. www.obcindia.co.in or by writing to the Company Secretary, Oriental Bank of Commerce, Corporate Office, Plot No. 5 Sector 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on Friday, 22nd March 2019.
7. The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Friday, 22nd March 2019 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.
8. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.
9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed

and signed, in the enclosed self addressed postage pre-paid Business Reply Envelope, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on Friday, 22nd March 2019. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on Friday, 22nd March 2019, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

- i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/or
- ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
- iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or
- iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
- v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or
- vi) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or
- vii) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

10. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a Duplicate Postal Ballot Form, the shareholder may write to the Bank at its Corporate Office at Plot No. 5 Sector 32, Institutional Area, Gurugram – 122001 or email at mbd@obc.co.in or to its Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. at Noble heights 1st floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on Friday, 22nd March 2019.

11. The process and manner of E-Voting shall be as follows:

E-Voting Instructions:

- (i) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 21.02.2019 and will end at 05.00 p.m. on 22.03.2019. During this period, the shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 08.02.2019 fixed for the purpose may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The Shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
- (iii) Click on Shareholders / Members
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any Company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders): Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (ix) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, Shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for ORIENTAL BANK OF COMMERCE.
- (xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the “RESOLUTION FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.

- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to the Scrutinizer at amitguptacs@gmail.com
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- (xxi) Kindly note that once you have cast your vote through E-Voting, you cannot modify or vote on voting at the Postal Ballot.

Other information

- a) Pursuant to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April, 2018, shareholders holding shares in physical form, whose folio does not have/ have incomplete details with respect to PAN and Bank particulars are mandatorily required to furnish the PAN and Bank details to the Bank/ Registrar & Transfer Agent (RTA) for registration under their folio. The Bank has sent letters to the concerned shareholders requesting them to furnish their details to the RTA at the earliest.

- b) **Dematerialization of Shares:** Pursuant to SEBI notification no. SEBI/ LADNRO/ GN/2018/24 dated 8th June 2018 & PR No. 49/2018 dated 3rd December, 2018, amending the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, except in case of transmission or transposition of securities, request for effecting the transfer of securities shall not be processed after 31st March, 2019 unless the securities are held in dematerialized form with a depository. Accordingly, the Shareholders of the Bank holding shares in physical form are requested to dematerise the shares held by them at the earliest.

Please note that Bank/ RTA will not process any request for transfer of shares with effect from 1st April, 2019.

- c) **Updation of e-mail IDs:** All shareholders are requested to get their email ids registered/ updated with the Bank's RTA (in respect of shares held in physical form) and with their Depository Participant (in respect of shares held in demat form) in compliance of applicable guidelines to facilitate all future communication in electronic mode.

Address of Registrar and Share Transfer Agent:

M/s Link Intime India Pvt. Ltd

Noble heights, 1st floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC,

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi - 110058

Phone Nos.: +91-11-41410592|93|94

Fax: +91-11-41410591

Email Id: delhi@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in

Investors may also contact the Investor Grievance Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

Oriental Bank of Commerce

Corporate Office - Merchant Banking Division,

Second Floor, Plot No.5,

Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

Phone Nos. 0124-4126281/285

E mail: mbd@obc.co.in

Website: www.obcindia.co.in

Explanatory Statement

The **following** details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

1. The Objects of the proposed Preferential Issue:

The Government of India (GOI) has through letter no.F.No.7/38/2014-BOA-I dated 30.01.2019 conveyed its decision to invest ₹1186.00 crore (Rupees One Thousand One Hundred and Eighty Six crore only) towards preferential allotment of equity shares of the Bank. The amount of ₹1186.00 crore has been received by the Bank on 30.01.2019 in the account maintained with the Reserve Bank of India.

The Board of Directors have on 07.02.2019 decided to issue equity shares to GOI and accordingly recommended passing the Special Resolution to create, offer, issue and allot requisite number of equity shares of face value of ₹10.00 each to the Government of India on preferential basis against the amount of capital infusion of ₹1186.00 crore already received by the Bank.

The capital raised through the Preferential Allotment would be utilized to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

2. The maximum number of specified securities to be issued

The Special Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date of Postal Ballot i.e. Friday 22nd March, 2019. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is 20th February, 2019 and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

3. Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the Offer:

Since the Government of India's shareholding in the Bank is 88.04% and the proposed preferential issue is also to be made to the Government of India, none of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except the Government of India.

4. Shareholding Pattern of the Bank before and after the proposed Preferential Issue:

Before the Issue:

Sr. No.	Category	No. of shares	Percentage of Paid-up Capital
1.	Promoter i.e. Government of India (President of India)	1060999566	88.04
2.	Other Shareholders*	144088458	11.96
3.	Total (1+2)	1205088024	100.00

**The Bank has offered upto 2,61,31,493 new equity shares to its employees under Oriental Bank of Commerce - Employee Share Purchase Scheme (OBC-ESPS). The Offer was opened on 31st January 2019. Accordingly, the shareholding pattern of the Bank before the proposed preferential issue will change post allotment of shares under ESPS.*

After Issue:

The requisite number of Equity Shares to be allotted to the Government of India shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. 20th February, 2019. The number of equity shares to be allotted to Government of India and the Post Issue Shareholding Pattern will be informed to the Stock Exchanges after the determination of the Issue Price. The same would also be published in the newspapers.

5. The time frame within which the preferential issue shall be completed:

In accordance with the requirements of Regulation 170(1) of SEBI ICDR Regulations, the allotment shall be made within 15 days from the date of passing of the special resolution by the shareholders provided that any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

6. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issued capital that may be held by them and change in control, if any, in the Bank consequent to the preferential issue :

As the entire issue is to be made to the Government of India, the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the Issue.

7. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price shall be determined in accordance with the Chapter V of the SEBI ICDR Regulations i.e. at a price not less than higher of the following:

- (a) The average of the weekly high and low of the volume weighted average price [VWAP] of the related equity shares quoted on the recognised stock exchange during the twenty six weeks preceding the relevant date; **or**
- (b) The average of the weekly high and low of the volume weighted average prices [VWAP] of the related equity shares quoted on a recognised stock exchange during the two weeks preceding the relevant date.

The "Relevant Date" for determining the Issue Price of the resultant equity shares shall be 20th February 2019.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164(3) and 167(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

- 8.** As all the shares are to be issued to Government of India, the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- 9.** The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of the SEBI ICDR Regulations where it is required to do.
- 10.** The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the equity shares shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

11. Certification from Statutory Auditor:

A Certificate of the Statutory Auditor of the Bank shall be available at the Corporate Office of the Bank till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue for certifying that the Issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

12. Lock-in and Restrictions on Transferability:

As per Regulation 167(1) of SEBI ICDR Regulations, the new equity shares proposed to be issued and allotted to the Government of India on preferential basis shall be subject to a lock-in period of three years from the date of trading approval granted by the Stock Exchanges.

Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the Bank shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

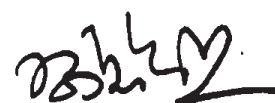
Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottee, if any, shall be locked-in from the relevant date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval granted by the Stock Exchanges to the shares allotted pursuant to the special resolution.

13. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The Bank will make an application to the stock exchanges at which its existing shares are listed, for listing of equity shares.
14. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI Listing Regulations.
15. The Bank confirms that neither the Issuer itself nor any of its promoters nor directors is a wilful defaulter in terms of the SEBI ICDR Regulations
16. Pursuant to the SEBI Listing Regulations and SEBI ICDR Regulations, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.
17. The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors Key Managerial Personnel of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the proposal contained in the Resolution, except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By order of the Board of Directors
For ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

Place : Gurugram
Date : 14.02.2019



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ORIENTAL BANK OF COMMERCE

प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001
Head Office: Harsha Bhawan, E - Block, Connaught Place, New Delhi - 110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001

पोस्टल मतदान फार्म / POSTAL BALLOT FORM

एकल / प्रथम नाम वाले शेयरधारक का नाम तथा पंजीकृत पता (स्पष्ट शब्दों में) Name & Registered Address of the sole / first named Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
संयुक्त शेयरधारक (कों) का नाम, यदि कोई हो Name of the Joint Shareholder(s), if any			
पंजीकृत फोलियो सं./ Registered Folio Number डीपी-आईडी / DP-ID / ग्राहक आईडी / Client ID			
धारित शेयरों की संख्या / No. of Shares held			
मैं/हम, निम्न मर्दों के संबंध में दिनांक 14.02.2019 के पोस्टल मतदान के नोटिस में यथा उल्लिखित कारोबार के लिए पोस्टल मतदान के माध्यम से पारित विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिए गए उपयुक्त कॉलम में (✓) सही का निशान लगाकर निम्नानुसार अपनी सहमति या असहमति प्रदान करते हुए अपना वोट देता हूँ/ देते हैं : I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Notice of Postal Ballot dated 14.02.2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:			
मद / Items	शेयर(रों) की संख्या जिनके लिए मतदान किया जाना है No. of share(s) for which votes cast	मैं संकल्प से सहमत हूँ (के लिए) I Assent to the Resolution (FOR)	मैं संकल्प से असहमत हूँ (के विरुद्ध) I Dissent to the Resolution (AGAINST)
सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के विनियम 164 के अनुरूप यथानिर्धारित निर्गमित मूल्य पर नकदी हेतु प्रीमियम सहित भारत सरकार ("जीओआई") को अधिमानी आधार पर ₹1186 करोड़ (रुपए एक हजार एक सौ छियासी करोड़ मात्र) की सीमा तक ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु। (विशेष संकल्प) To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") aggregating to ₹1186 Crore (Rupees One Thousand One Hundred Eighty Six Crore only) on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price as determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018. (Special Resolution)			

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर /Signature of Shareholder

ईमेल आईडी / Email id.....

दूरभाष सं. / Tel. No.....

यहां से काटें / To cut here

ई-मतदान विवरण / E-Voting Particulars

इलेक्ट्रॉनिक मतदान क्रम सं. (ईवीएसएन) Electronic Voting Sequence No. (EVSN)	यूजर आईडी USER ID	पैन/डिफॉल्ट पैन सं. (क्रम सं.) PAN/Default PAN No. (Sequence Number)
ई-वोटिंग का प्रारंभ / Commencement of E-voting		ई-वोटिंग की समाप्ति / End of E-voting
गुरुवार, 21 फरवरी, 2019 / Thursday, February 21, 2019		शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 / Friday, March 22, 2019

टिप्पणी : कृपया इस फार्म को भरने से पूर्व पृष्ठ के पीछे प्रिंटेड अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Note: Please read carefully the instructions printed overleaf before completing this form.

अनुदेश

- 1) कोई शेयरधारक जो पोस्टल मतदान द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है उसे पोस्टल मतदान फार्म पूर्णतया भरना होगा तथा संलग्न स्व-संबोधित पोस्टेज पूर्व-दत्त लिफाफे में **संवीक्षक** को भेजना होगा। पोस्टल मतदान वाले लिफाफे, यदि शेयरधारकों के खर्च पर व्यक्तिगत रूप से जमा कराए जाते हैं या कोरियर द्वारा भेजे जाते हैं तो उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा।
- 2) यह फार्म शेयरधारक द्वारा पूर्णतया भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित (बैंक/निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) होना चाहिए। संयुक्त धारिता की स्थिति में, यह फार्म प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य शेयरधारक द्वारा भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- 3) कंपनियों, न्यासों, संस्थाओं आदि द्वारा धारित शेयरों की स्थिति में, पूर्ण रूप से भरे हुए पोस्टल मतदान फार्म के साथ मंडल संकल्पना / प्राधिकार की सत्यापित सत्य प्रति होनी चाहिए। जहां फार्म भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो, वहां पोस्टल मतदान फार्म के साथ नामांकन की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- 4) उपयुक्त कॉलम में (✓) सही का निशान लगाकर 'के लिए' कॉलम में सहमति तथा 'के विरुद्ध' कॉलम में असहमति दी जानी चाहिए।
- 5) अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पोस्टल मतदान फार्म को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 6) एक शेयरधारक को सभी मतदान प्रयोग करने आवश्यकता नहीं है तथा न ही सभी मतदान एक ही तरीके से करने की आवश्यकता है।
- 7) विधिवत रूप से भरा हुआ पोस्टल मतदान फार्म, 22 मार्च, 2019, शुक्रवार को सायं 5.00 बजे तक कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त सभी पोस्टल मतदान फार्म इस प्रकार समझे जाएंगे जैसे शेयरधारक से उत्तर प्राप्त न हुआ हो।
- 8) कोई शेयरधारक डुप्लीकेट पोस्टल मतदान फार्म की मांग, यदि आवश्यक हो, कर सकता है। तथापि, विधिवत रूप से भरा हुआ डुप्लीकेट पोस्टल मतदान फार्म उक्त मद संख्या 7 में विनिर्दिष्ट तिथि तक संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए।
- 9) शेयरधारकों से अनुरोध है कि पोस्टल मतदान फार्म के साथ संलग्न स्व-संबोधित पोस्टेज पूर्व-दत्त लिफाफे में कोई अन्य प्रपत्र न भेजें।
- 10) अंतिम तिथि अर्थात्: 08 फरवरी, 2019 को शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य तक ही मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।
- 11) पोस्टल मतदान फार्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
- 12) पोस्टल मतदान द्वारा किए गए मतदान के परिणाम की घोषणा 24 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में की जाएगी तथा उसे बैंक की वेबसाइट अर्थात्: www.obcindia.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सीडीएसएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे बैंक की आरटीए अर्थात्: लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट अर्थात्: www.linkintime.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 13) ई-वोटिंग : इनमें बनाए गए नियमों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित, सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, बैंक अन्य विकल्प के तौर पर सहर्ष ई-मतदान (सीडीएसएल के ई-मतदान प्लेटफार्म के माध्यम से) सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जो मूर्त मतदान फार्म भेजने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में शेयरधारकों को सक्षम बनाएगा।
- 14) कृपया नोट करें कि ई-मतदान वैकल्पिक है। यदि शेयरधारक ने ई-मतदान के जरिए मतदान किया है तो उसे मूर्त मतदान फार्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि शेयरधारक अपना मतदान दोनों विधियों से डालता है / डालते हैं अर्थात्: मूर्त मतदान एवं ई-मतदान, तो ई-मतदान द्वारा किया गया मतदान वैध होगा तथा शेयरधारक का मूर्त मतदान अवैध माना जाएगा।
- 15) शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-मतदान के संबंध में विस्तृत अनुदेशों के लिए, नोटिस तथा इसकी टिप्पणियों का संदर्भ लें।

INSTRUCTIONS

- 1) A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Shareholders will also be accepted.
- 2) This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Shareholder and in his absence, by the next named shareholder.
- 3) In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorization. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
- 4) The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
- 5) Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
- 6) A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
- 7) Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m., on Friday, 22nd March 2019. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Shareholder has not been received.
- 8) A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
- 9) Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self addressed envelope.
- 10) Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the Cut-Off date i.e. Friday, 08th February 2019.
- 11) The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
- 12) The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before 5:00 p.m. of 24th March, 2019 at the Corporate Office of the Bank and the same would be placed on the website of the Bank i.e. www.obcindia.co.in and on the website of CDSL along with Stock Exchanges. It would also be hosted on the website of the Bank's RTA Link Intime India Pvt Ltd. i.e. www.linkintime.co.in
- 13) E-VOTING: In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of CDSL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form.
- 14) Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-Voting, then voting done through E-Voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid.
- 15) Shareholders are requested to refer to the Notice and notes thereto, for detailed instructions with respect to E-Voting.